/198453/2024

ई0पत्रावली संख्या–12992

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार, I.A.S.
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक** 13 **मार्च, 2024**

विषयः जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1043/प्र0अ0/सिं0वि/बजट/बी–1(जमरानी बांध)/कैम्प दिनांक 02.03.2024 एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, देहरादून के पत्र संख्या–496/UPDCC/Jamrani, दिनांक 30.10.2023 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना से सम्बन्धित पुनरीक्षित कार्यों की टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत **लागत रू0 3808.16 करोड़ (रू0 तीन हजार आठ सौ आठ करोड़ सोलह लाख मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0/भूमि अधिग्रहण–भूमि क्रय मद (अनुदान संख्या–20 /लेखाशीर्षक–4700– 80–001–04–00–54) में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त धनराशि रू0 3808.16 करोड़ में से पूर्व में स्वीकृत/व्यय धनराशि रू0 129.93 को घटाते हुए अवशेष पुनरीक्षित लागत रू0 3678.23 करोड़ के सापेक्ष जल शाक्ति मंत्रालय भारत सरकार से रू0 1557.18 करोड़ एवं एम0ओ0यू0 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अंश को अवमुक्त कराने हेतु समयबद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(iii) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2024 को सम्पन्न राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्टैन्डिग कमेटी की 78वीं बैठक के क्रम में निर्गत आदेश संख्या–डब्लू0एल0–6/125/2023 डब्लू0एल0, दिनांक 01.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) उक्त परियोजना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2023 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र Item Rate के आधार पर तैयार किये जायेगें।

(v) बृहद जलाशय हेतु डैम की ऊँचाई अधिक होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(vi) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में National Tiger Conservation Authority की अनापत्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 77वीं बैठक दिनांक 30.01.2024 में दी गयी सैद्वान्तिक स्वीकृति के क्रम में गठित Site Inspection Committee द्वारा दी गयी शर्तों के अनुपालन के

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR HALDIA, RO-Irrigation Section 2-MKH, REVIEW OFFICER, Irrigation and Minor Irrigation Department on 13/03/20

लिए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड से Undertaking प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

(vii) परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु विस्थापन स्थल पर Master Planning सम्बन्धी कार्यवाही नगर नियोजन विभाग के स्थान पर उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0, सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित की जायेगी।

(viii) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–P-19011/7/2021-SPR/3040-3055, दिनांक 31.10.2023 में प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं अन्य सभी गाईड लाईन्स/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र की जाय जिससे कार्य प्रारम्भ किये जाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(x) निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

(xi) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व प्रस्ताव में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कुर्सी क्षेत्रफल दरों, लोक निर्माण विभाग की प्रारम्भिक दरों, प्रतिशतता एवं एकमुश्त के आधार पर आंकलित की गयी अनुमानित लागत के विरूद्ध विस्तृत आगणन गठित करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त शासन को प्रेषित किये जाये।

(xii) आगणन में जिन मदो की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाय।

(xiii) Dewatering पर होने वाले व्यय का भुगतान वास्तविक रूप से कार्य स्थल पर उपलब्ध Log-Book में प्रतिदिन Hourly Entry के आधार पर सक्षम अधिकारी के सत्यापन के पश्चात् सी0डब्ल्यू0सी0 की गाईड–लाईन के अनुसार मात्र Submeregence Structure की मदों की मात्रा के आधार पर ही निर्धारित सीमा के अन्दर ही किया जाय।

(xiv) योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness and Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(xv) योजना क्रियान्वयन से सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xvi) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप Consultant आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(xvii) योजना के विभिन्न परिसरों में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

(xviii) कार्य कराये जाने से पूर्व योजना के समस्त स्ट्रक्चरस के स्ट्रक्चरल एवं हाईड्रोलोजिल डिजाइन का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैट करा लिया जाय।

(xix) कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की आन्तरिक एवं पहुंच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय।

(xx) योजना की पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन के प्रतिबन्धों/शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxi) भूमि अधिग्रहण एवं R & R कार्य Circle Rate एवं वास्तविक माप के आधार पर किया जाए।

(xxii) Canal works provision for electrical poles/line transformer water pipe line 3% एवं बाँध निर्माण कार्य में Intrumentation Work 3% लिया गया है, जिसका भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाए।

(xxiii) Sub-head 8 Miscellaneous expenses पूर्व स्वीकृत DPR पर Escalation factor लगाते हुए आंकलित किया गया है। कार्य का आकलन/व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जाए।

(xxiv) कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु विभाग/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

(xxv) N.S.I मदों कार्य हेतु शा0सं0–50/XXVII(7)/2012, दिनांक 12.04.2012, 152/887/मार्ग0सि०/रा०यो०आ०/2021, दिनांक 04.02.2021 एवं 103/XXVII (7)32/2007 टी०सी०–1, दिनांक 21 जुलाई, 2022 तथा 1389/687/मार्ग0सि०/रा०यो०आ०/2022, दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017, समय–समय पर यथा संशोधित एवं वित्त विभाग की अन्य दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(xxvi) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(xxvii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

(xxviii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(xxix) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xxx) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxxi) प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा०सं० 14910/XXVII(7)/E–20109/2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxxii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं०–128975/XXVII(1)/2022 दिनांक 12 जून, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये स्थल चयन समिति की आख्या प्राप्त कर ली जाये।

(xxxiii) हल्द्वानी में अन्य योजनाओं जैसे USSDA द्वारा जल आपूर्ति/Water Supply Distribution हेतु जो भी कार्य कराये जा रहे हैं, भविष्य में जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु लिये गये कार्यों में Distribution एवं अन्य मदों को न लिया जाय, अर्थात् पेयजल के कार्यों का कदापि दोहराव, (Duplicacy) न हो। इस सम्बन्ध में तीनों विभाग–पेयजल, सिंचाई एवं शहरी विकास विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

(xxxiv) उक्त क्षेत्रों में भविष्य में बनने वाली पेयजल योजनाओं में भू गर्भ जल दोहन नहीं किया जायेगा तथा जल श्रोत के रूप उक्त परियोजना के जल का ही प्रयोग किये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर परिव्यय–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0/भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि–00–54 भूमि क्रय मद के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग(अनुभाग–2) के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/198192/2024 दिनांक 13 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 13-03-2024 18:17:33

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई0पत्रावली संख्या–12992 ,तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. आयुक्त कुमायुं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
13. जिलाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
14. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
15. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
16. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
18. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
19. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
20. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, देहरादून।
21. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
22. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, जमरानी को उनके पत्र संख्या–496/UPDCC/Jamrani, दिनांक 30.10.2023 के क्रम में।
23. महाप्रबन्धक,जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना, यू0पी0डी0सी0सी0 सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड।
24. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-03-2024 18:23:40

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR HALDIA, RO-Irrigation Section ...